

13.6.18

पञ्जावली न्याय आपत्तिका-2018 में न्यायालय  
द्वारा में पेश हुई। पञ्जावली का अवलोकन  
क्रियात्मक विभाग की दुरुस्त लक्ष्मी मन्दी  
है उसका प्रमाणित नक्शा नहीं होने से  
गोकरव-बलने योग्य नहीं है अतः माफी का  
मात्र पत्र स्वार्थि किया गया। पञ्जावली केसूल  
कुमार होकर दर्ज नम्बर से कर दो। मादेश न्याय में  
आम रकम न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
साँवर लोक